

# प्रतिभूपत्र- I

मैं ..... पुत्र श्री ..... ग्राम ..... का निवासी हूं तथा

ग्राम ..... के खाता संख्या ..... खसरा संख्या ..... में मेरा ..... भाग

क्षेत्रफल ..... था जिसका अर्जन सुनियोजित विकास हेतु यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास

प्राधिकरण या जेवर एयरपोर्ट द्वारा किया गया है।

यह कि उपरोक्त भूमि खाता संख्या ..... खसरा संख्या .....

क्षेत्रफल ..... स्थित ग्राम ..... की भू अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (1)/17 की

अधिसूचना दिनांक ..... को धारा 6/17 की अधिसूचना दिनांक .....

को जारी होकर कब्जा दिनांक ..... को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण या जेवर

एयरपोर्ट को हस्तांतरित हुआ है।

यह कि मेरे द्वारा अधिग्रहित भूमि का समस्त प्रतिकर बिना किसी आपत्ति के करार/सहमति के आधार

पर प्राप्त कर लिया गया है। यह कि मेरे द्वारा प्राधिकरण के साथ अथवा सह खातेदारों के साथ कोई विवाद

न्यायालय में लंबित नहीं है, ओर मेरे अथवा मेरी पत्नी के नाम से यमुना विकास प्राधिकरण में कोई आवासीय

भवन/ भूखण्ड आवंटित नहीं है, तथा प्राधिकरण या जेवर एयरपोर्ट की अर्जित भूमि पर मेरे द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया

गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण प्राधिकरण रिकार्ड/जानकारी में सच व सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

# प्रतिभूपत्र— II

मैं ..... पुत्र श्री ..... निवासी ग्राम ..... के खाता  
संख्या ..... खसरा संख्या ..... क्षेत्रफल ..... स्थित ग्राम .....  
का स्वामी हूँ।

यह कि उपरोक्त भूमि खाता संख्या ..... खसरा संख्या ..... क्षेत्रफल ..... स्थित  
ग्राम ..... का अधिग्रहण (धारा 4/17, 6/17) दिनांक ..... को प्राधिकरण या जेवर एयरपोर्ट  
के लिए किया जा चुका है।

यह कि मेरे द्वारा प्राधिकरण या जेवर एयरपोर्ट की अधिग्रहित भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है।

मेरे द्वारा प्राधिकरण या जेवर एयरपोर्ट का कोई विकास कार्य बाधित नहीं किया जा रहा है और न ही किसी  
भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन : अभियंत्रण विभाग

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण प्राधिकरण रिकार्ड/जानकारी में सच  
व सही है।